प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अशोक कुमार पुत्र चम्पालाल ओसवाल जालोर जरिये, हुक्मीचंद पारख,एडवोकेट जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर
प्रकरण अपील		20/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

17.06.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की-प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 26.06.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	457-52 17-5-19
26.06.2019	अपीलांट व रेस्पोडेन्ट उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ। आज दोनों पक्षों को सुना गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जालोर) ने अपने लिखित जवाब में व्यक्त किया है कि अपीलांट अशोक कुमार पुत्र चम्पालाल ओसवाल निवासी जालोर जरिये हुकमीचंद पारख एडवोकेट जालोर द्वारा दिनांक 04.04.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार जालोर द्वारा पट्टा कमांक/138. पत्रावली संख्या 401/1948-1949 दिनांक 10.07.1951 श्री चम्पालाल पुत्र सुकराजजी ओसवाल सोलकी निवासी जालोर के नाम से जारी पट्टा की प्रमाणित प्रति चाही गई जो तहसील कार्यालय जालोर के वर्तमान उपलब्ध रेकर्ड में नही होना पाया गया।उक्त पट्टा दिनांक 10.07.1951 को जारी किया गया था जिसको करीब 68 वर्ष हो चुके है तहसील कार्यालय में पुराने तीन पट्टा रजिस्टर उपलब्ध है जिसके अधिक भाग में दीमक लगने के कारण कोई सही पता नही चल रहा है उक्त कारणो से अपीलांट को समय सीमा में सूचित किया जा चुका है।अत:अपीलांट की अपील खारिज फरमावे।रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त जबाब की नकल वकील अपीलांट को दिलवाई गई। अपीलांट की ओर से उपस्थित श्री हुकमीचंद पारख अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया है कि अपील में वर्णित दस्तावेजो की नकल तहसील कार्यालय जालोर से चाही जाने पर नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2019 पर यह टिप्पणी अंकित की गई है कि चाही गई नकल जिसको करीब 68 वर्ष हो चुके है तहसील जालोर राजस्व शाखा में वर्तमान उपलब्ध रेकर्ड में उक्त पट्टा होना नही पाया गया, वर्ष 2004 तक का रिकार्ड जिला अभिलेखागार में जमा होना पाया गया, जिसके कारण नकल दिया जाना संम्भव नही है।अपीलांट द्वारा जिला अभिलेखागार जालोर में दिनांक 25.02.2019 को इसी दस्तावेजो की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर यह टिप्पणी कर प्रार्थना पत्र पत्रित किया गया है कि अभिलेख जमा पंजिका का अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थना पत्र वर्णित अभिलेख कार्यालय की जमा पंजिका अनुसार जमा नही पाया गया।इस प्रकार दोनो नकल प्रार्थना पत्रो पर परस्पर विरोधाभाषी टिप्पणी होने से वाछित नकल नही मिलने पर यह अपील पेश की है।रेस्पोडेन्ट	

द्वारा जबाब में पुराने तीन पट्टा रजिस्टर उपलब्ध होना तथा अधिकाशं भाग में दीमक लगने के कारण नकल नही दिया जाना बताया है जो आधारहीन है अत: अपील स्वीकार फरमावे।

अपील तथा जबाब एवं दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् निष्कर्ष यह है कि सूचना के अधिकार के तहत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 04.04.19 तहसीलदार जालोर को प्राप्त होने पर पत्रांक/ सू.अ. /2019/240-241 दिनांक 06.05.2019 के जरिये तहसीलदार जालोर द्वारा अपीलांट श्री हुकमीचंद पारख को सूचित किया गया है कि पट्टा कमांक/138 पत्रावली संख्या 401/1948-1949 दिनांक 10.07.1951 श्री चम्पालाल पुत्र सुकराजजी ओसवाल सोलकी निवासी जालोर के नाम से जारी पट्टे की प्रमाणित प्रति चाही गई है जो वर्तमान में उपलब्ध रेकर्ड में नही होना पाया गया है वर्ष 2004 तक रेकर्ड जिला अभिलेखागार जालोर में जमा करवाया हुआ है।रेस्पोडेन्ट द्वारा आज अपने जबाब में यह भी बताया है कि पट्टा दिनांक 10.07.1951 जारी किया गया था जिसको करीब 68 वर्ष हो चुके है तहसील कार्यालय में पुराने पट्टा तीन रजिस्टर उपलब्ध है जिसके अधिक भाग में दीमक लगने के कारण कोई सही पता नही चल रहा है उक्त कारणो से नकल नही दी जा सकी तथा अपीलांट को समय सीमा में सूचित भी किया जा चुका है।अपीलांट श्री हुकमीचंद पारख एडवोकेट जालोर द्वारा अशोक कुमार पुत्र चम्पालालजी ओसवाल सोलकी जालोर की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानो के अनुसार आवेदक स्वंय ही नकल प्राप्त करने एवं अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी रहता है लेकिन इस प्रकरण में आवेदक अशोक कुमार की ओर से श्री हुकमीचंद पारख को नकल एवं अपील प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया हो ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया गया है।अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर वांछित दस्तावेज 68 वर्ष पुराना होने तथा रेकोर्ड में उपलब्ध नही होने से आवेदक को उपलब्ध कराया जाना संभव नही होने से अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है।अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:25:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: